भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक

drishtiias.com/hindi/printpdf/review-meeting-of-beggary-free-campaign

चर्चा में क्यों?

11 अगस्त, 2021 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओ.पी. बुनकर की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के सभागार में **जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने** हेतु चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में अतिरिक्त निदेशक-सामाजिक सुरक्षा सुवालाल पहाड़िया ने अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, 18 से 55 वर्ष तक की आयु के महिला व पुरुष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं अशक्त और दिव्यांग लोगों के हिसाब से श्रेणीवार भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का चिह्नीकरण किया गया है।
- इसके लिये शहर में 25 पॉइंट चिह्नित किये गए हैं, जहाँ भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति मिलते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं द्वारा ऐसे चिह्नित स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का विवरण एक प्रारूप में दर्ज किया जाएगा, उसके पश्चात् उनकी काउंसलिंग कर उन्हें निराश्रित बाल गृह, महिला सदन, वृद्धाश्रम तथा आवश्यकतानुसार विकलांग पुनर्वास गृहों में प्रवेश दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि अभियान में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के युवा वर्ग को लक्ष्य वर्ग के रूप में लिया गया है। जो भी युवा भिक्षावृत्ति में लिप्त हो तथा वह कोई कार्य करना चाहता हो अथवा वह किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे, उसे उसकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिलाकर पुनर्वासित किया जाना इस अभियान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।